न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.

(1). प्रकरण संख्या 3/2021 (उदयपुर डिक्की)

महावीर प्रसाद मीणा पिता श्री श्रवण कुमार जी मीणा, निवासी वाजियावास, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर हाल ग्राम कुंआथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री रामलाल मेघवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

(2). प्रकरण संख्या 11/2021 (उदयपुर डिक्की)

1. कजोड़ पिता वगता जी भील मृतक के बजाय :–

1/1. नाथू पिता श्री कजोड़ भील, निवासी बुनकर मोहल्ला, भेरूखेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. हीरालाल पिता श्री कजोड़ भील, निवासी बुनकर मोहल्ला, भेरूखेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. श्रीमती रामी पत्नी देवीलाल पुत्री श्री कजोड़ भील, निवासी बुनकर मोहल्ला, भेरूखेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द हाल निवासी केरा का खेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)

1/4. सुखलाल पिता श्री कजोड़ भील, निवासी बुनकर मोहल्ला, भेरूखेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

सभी चारों जरिये अधिकार पत्र धारक श्री मांगीलाल पिता श्री भीमा जी भील, निवासी बुनकर मोहल्ला, भेरूखेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. दयाराम उर्फ मांगू पिता रामा जी मृतक के बजाय :–

2/1. दाखी पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल जी, निवासी दौलपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2/2. हीरालाल सालवी पिता स्वर्गीय मांगीलाल जी, निवासी दौलपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2/3. नौसर पिता स्वर्गीय मांगीलाल जी, निवासी दौलपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2/4. राधा पिता स्वर्गीय मांगीलाल जी, निवासी दौलपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 13:36:46 IST
Reason: SelfAttested

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री दुर्गासिंह भाक्तावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री भूरवीरसिंह यदुवं ाी अभिभाषक रे.सं. 2/1 से 2/4
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

————:::————

अपीलें अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भीम
दिनांक 27.03.2002, प्र. सं. 56 / 99

———/———

निर्णय **दिनांक 27–12–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ़ द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हीराखेड़ा में आराजी नंबर 202, 203, 204, 205, 206 कुल किता 5 रकबा 32 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में कजोड़ पिता वगता भील के नाम दर्ज है, जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने उक्त समस्त आराजियात का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 20–11–1970 को दयाराम उर्फ मांगू बलाई के कर दिया, क्रेता दयाराम अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा जनसूचित जाति के सदस्य को विक्रय किये जाने से राजस्थान का तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) का स्पश्ट उलंघन है। अतः भूमि राज्य सरकार को दिलाने का आदे ा प्रदान करावें।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षी संख्या 1 कजोड़ द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि का बेचान कतई नहीं किया गया है एवं कब्जा आज भी विपक्षी संख्या 1 का ही है। प्रार्थी सरकार द्वारा निर्दिश्ट 12 वर्श की अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 27–03–2002 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को बेदखल कर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित करने का आदे ा दिया, जिससे रूश्ट होकर अपील संख्या 3 / 2021 अपीलान्ट महावीर प्रसाद मीणा द्वारा दिनांक 05–01–2021 को प्रस्तुत की गयी, जिसे हम आगे चलकर प्रथम अपील कहेंगे तथा अपील संख्या 11 / 2021 विपक्षी कजोड़ के वारिसान नाथू व अन्य द्वारा दिनांक 28–06–2021 को प्रस्तुत की गयी, जिसे हम आगे चलकर द्वितीय अपील कहेंगे। दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात समान होने एवं अधिनस्थ न्यायालय के एक ही निर्णय संख्या 56 / 1999 में पारित निर्णय दिनांक 27–03–2002 के विरूद्ध होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 13:30:46 IST
Reason: SelfAttested

किया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे। द्वितीय अपील के अपीलान्ट नाथू व अन्य द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्तागण उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर दोनों प्रकरणों में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील संख्या 3/2021 के अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था, जिससे अपीलान्ट उक्त निर्णय से अनभिज्ञ था। कथित निर्णय की जानकारी होने पर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः मियाद कण्डोन फरमाई जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

इसी प्रकार अपील संख्या 11/2021 के अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन अपीलान्ट आदिवासी होकर सुदूर वीरान जंगल में रहते हैं, जिससे राजस्व रेकार्ड का अवलोकन नहीं कर सके। हाल ही में पटवारी ने विवादित भूमि उनके नाम नहीं होना बताया तो अधिनस्थ न्यायालय के कथित निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी होने पर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः मियाद कण्डोन फरमाई जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा दोनों अपीलों में प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोनों प्रार्थना पत्रों के खण्डन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण न्यायहित में दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर दोनों अपीलें अन्दर मयाद शुमार की जाकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

अपील संख्या 3/2021 के अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था, जिससे उन्हें अपील प्रस्तुत करने की छूट दी जाना नितान्त आव यक है, जिससे उसे न्याय प्राप्त हो सके। अतः धारा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। ताईद में भापथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने उक्त आवेदन में कहीं पर भी यह अंकित नहीं किया है कि वह अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से किस प्रकार प्रभावित है तथा किस प्रकार उसके किसी हित का सृजन

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 13:36:46 IST
Reason: SelfAttested

नहीं होता है। तद्नुसार हम अपीलान्ट को प्रभावित पक्षकार नहीं पाते हैं एवं प्रथम अपील संख्या 3/2021 प्रथम दृश्टया इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक गुणावगुण प्र न है, दौराने बहस प्रथम अपील संख्या 3/2021 के विद्वान वकील ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 24–05–2002 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विवादित आरायिजात में 1/2 हिस्सा खातेदार कजोड़ से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, तब से वह काबिज चला आ रहा है, जिसका नामान्तरकरण भी स्वीकृत होकर अपीलान्ट का नाम 1/2 हिस्से की हैसियत से दर्ज किया गया है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाये जाने से वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका है। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजियात का 1/2 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया है, जिसे उसके खाते दर्ज किया जाना नितान्त आव यक है। अतः अपील स्वीकार जाकर विवादित में आराजी नंबर 202, 203, 204, 205, 206 कुल किता 5 रकबा 32 बीघा 7 बिस्वा में से 1/2 हिस्से का अपीलान्ट को खातेदार घोशित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदे ा फरमाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अभिभाशक ने बताया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा दिनांक 24–05–2002 को खातेदार कजोड़ से क्रय करना बताया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27–03–2002 को ही निर्णय पारित करते हुए खातेदार कजोड़ के खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित करने के आदे ा दिये थे। तद्नुसार दिनांक 24–05–2002 को जब विक्रेता कजोड़ का ही विवादित बिलानाम आराजियात में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं रहा था, तो ऐसी स्थिति में बिलानाम आराजियात का जो विक्रय अपीलान्ट महावीर के पक्ष में किया गया है, उसे क्रेता अपीलान्ट के पक्ष में किसी प्रकार के हक अधिकारों का सृजन नहीं होता है। तद्नुसार प्रथम अपील संख्या 3/2021 खारिज योग्य है।

जहां तक द्वितीय अपील संख्या 11/2021 का प्र न है, विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान का तकारी अधिनियम अवधि बाधित होते हुए भी उसे अन्दर अवधि मानकर स्वीकार करने में भूल की है। तथाकथित दस्तावेज वर्श 1970 का होकर उस समय इसकी मयाद 3 वर्श ही होने से वर्श 1973 में मयाद समाप्त हो चुकी थी, [illegible] प्रार्थना पत्र वर्श 1999 में प्रस्तुत किया गया है, जो पूर्णतया मयाद बाहर था। विधि का [illegible] सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 13:36:46 IST
Reason: SelfAttested

अथवा उसमें किये गये सं ोधन जब तक कि उन्हें भूतलक्षी किसी नि चत दिनांक से बनाया नहीं गया हो तब तक वे लागू होने की दिनांक से प्रभावी होगा। धारा 175 के तहत वर्श 1971 में सं ोधन कर मयाद 12 वर्श के लिए बढ़ायी गयी तथा वर्श 1981 में सं ोधित कर उसे 30 वर्श के लिए लागू कर दिया गया। चूंकि उक्त दोनों ही सं ोधन वर्श 1971 व 1981 में लागू हुए हैं, जबकि तथाकथित दस्तावेज वर्श 1970 का है, जिसके तहत धारा 175 की कार्यवाही की मियाद वर्श 1973 में ही समाप्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में प चातवर्ती सं ोधन को पूर्ववर्ती दस्तावेज पर लागू होना मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। राजस्थान का तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए एक हितकर एवं कल्याणकारी प्रावधान है, जिसके तहत उनकी भूमियां छीनी नहीं जा सकती, वि ोशतः हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों व निहित कानूनी बिन्दुओं अनुसार तो कदापि नहीं, जैसाकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नवीनतम निर्णय 2012 पार्ट 2 आर.एल.डब्ल्यू. (आर.जे.) (एस.सी.) पेज 1026 में अभिमत पारित किया गया है कि यदि अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के द्वारा वास्तविकता में धारा 42 (बी) राजस्थान का तकारी अधिनियम के विपरीत भूमियां विक्रय कर दी जाती हैं तथा कब्जा क्रेता प्राप्त कर लेता है तो राज्य सरकार का दायित्व है कि वो क्रेता से कब्जा प्राप्त कर पुनः अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को सिपुर्द करें, जबकि हस्तगत प्रकरण में मात्र कयासी आधारों पर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। प्र नगत प्रकरण में धारा 175 राजस्थान का तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू ही नहीं होते हैं, क्योंकि मौके पर कब्जा अपीलान्ट का है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वादग्रस्त भूमि पुनः अपीलान्टगण के खाते दर्ज करने का आदे ा फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2012 0 सुप्रीम (राज.) 980 प्रस्तुत की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर का अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2012 0 सुप्रीम (राज.) 980 2012 पार्ट 2 आर.एल.डब्ल्यू. (आर.जे.) (एस.सी.) पेज 1026 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ''राजस्थान का तकारी अधिनियम, 1955 धारा 42 (ख) के प्रावधानों की दृश्टि से अनुसूचित जाति के व्यक्ति से अनुसूचित जाति के अलावा किसी विधि व्यक्ति को भूमि का अन्तरण [illegible] ? – अभिनिर्धारित – अधिनियम की धारा 42 (ख) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'व्यक्ति' [illegible] नैसर्गिक व्यक्ति ही हो सकता है न

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 13:36:46 IST
Reason: SelfAttested

कि कोई विधिक व्यक्ति, अन्यथा इस धारा का सम्पूर्ण प्रयोजन ही विफल हो जायेगा। सरकार उस भूमि को अपने कब्जे में ले सकती है तथा उसे मूल स्वामी को लौटा सकती है जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है।'' तद्नुसार प्र नगत प्रकरण में भी विक्रेता अनुसूचित जनजाति के होने से सरकार क्रेता से जो कि गैर अनुसूचित जाति का सदस्य है, से कब्जा प्राप्त कर पुनः मूल खातेदार अर्थात अपीलान्ट को लौटा सकती है। वैसे भी तहसीलदार देवगढ़ द्वारा न्यायालय हाजा में जो रिपोर्ट दिनांक 13–12–2021 को प्रस्तुत की है, उसके अनुसार भी साबिक आराजी नंबरों से बने नये नबर 310, 311 व 312 पर अपीलान्ट नाथू वगैरह का कब्जा पाया गया है एवं उनके विरूद्ध धारा 91 के तहत संवत् 2059, 2064 व 2067 में कार्यवाही की गयी है। तद्नुसार भी विवादित आराजियात पर कब्जा क्रेता का नहीं होकर विक्रेता के उत्तराधिकारी अपीलान्ट नाथू वगैरह का ही साबित होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र नगत प्रकरण में विक्रय वर्श 1970 का है एवं तत्समय धारा 175 राजस्थान का तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने की समय सीमा 3 वर्श थी अर्थात तहसीलदार को वर्श 1973 तक धारा 175 का प्रार्थना प्रस्तुत प्रस्तुत करना था, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र वर्श 1999 में अर्थात मयाद निकले के 26 वर्शो बाद प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने वर्श 1981 में किये गये 30 वर्श के सं ाोधन के आधार पर तहसीलदार का प्रार्थना पत्र समयावधि में मान लिया है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि में किया गया कोई भी सं ाोधन उक्त दिनांक से ही लागू होता है, पूर्व में लागू विधि पर वह लागू नहीं होता है। तद्नुसार मयाद के बिन्दु पर ही तहसीलदार का उक्त धारा 175 का आवेदन चलने योग्य नहीं था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने 30 वर्श की अवधि मानकर प्रस्तुत आवेदन को समय सीमा में मानकर जो निर्णय पारित किया है, वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। तद्नुसार द्वितीय अपील संख्या 11/2021 को हम स्वीकार योग्य पाते हैं।

उपरोक्तानुसार प्रथम अपील संख्या 3/2021 सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा द्वितीय अपील संख्या 11/2021 स्वीकार की जाती है तथा अपीलान्टगण को विवादित आराजी नंबर 202, 203, 204, 205, 206 कुल किता 5 रकबा 32 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार घोशित किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–03–2002 अपास्त किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 13:36:46 IST
Reason: SelfAttested

(एम. एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 13:36:46 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.** .....

महावीर प्रसाद पिता श्रवण कुमार जी मीणा निवासी वाजियावास, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर हाल ग्राम कुंआथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द बनाम **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**3/2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**भीम**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**27**.....माह.....**03**.....**2002**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**.....माह.....**12**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री रामलाल मेघवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमले । चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**12**.....**2021** को जारी किया गया।

(एम. एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 13:36:46 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.** .....

कजोड़ के बजाय नाथू पिता कजोड़ भील, निवासी बुनकर मोहल्ला, भेरूखेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**11 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**भीम**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....27**.....माह.....**03**.....**2002**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**.....माह.....**12**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दुर्गासिंह भाक्तावत** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री ूरवीर सिंह यदुवं ाी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–12–2003 अपास्त किया जाता है तथा अपीलान्टगण को विवादित आराजी नंबर 202, 203, 204, 205, 206 कुल किता 5 रकबा 32 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार घोशित किया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**12**.....**2021** को जारी किया गया।

(एम. एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 13:36:46 IST
Reason: SelfAttested